

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(7)शिक्षा-1/प्रा.शि./2008

जयपुर, दिनांक : 18/9/08

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने वायत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 54 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में एक मुश्त 50,000/- रुपये शास्ति (Non-refundable) के रूप में बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा करवाये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
(1)	महाराणा प्रताप एसटीसी स्कूल, बसेडी, धौलपुर	STC	50
(2)	चौधरी एम.एस. मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तारा नगर, चुरू	STC	50
(3)	इंडियन पब्लिक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, झुन्झुनू	STC	50
(4)	रावत महिला बीएड कॉलेज, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर	STC	50 (सीट बुकिंग)
(5)	राजस्थान कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, खेडा, हिण्डौन सिटी, करौली	STC	50
(6)	पी.एल. दुबे मेमोरियल एसटीसी कॉलेज, जगपुरा, कोटा	STC	50
(7)	महिला विद्या मन्दिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेगवास, प्रतापगढ़	STC	50
(8)	मारुती नन्दन ऐलीमेन्ट्री (बीएसटीसी) टीटी कॉलेज, भरतपुर	STC	50
(9)	लोकमान्य तिलक एसटीसी कॉलेज, बिन्दायका, झोटवाडा, जयपुर	STC	50
(10)	टैगोर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शेखपुर, कोटपूतली, जयपुर	STC	50
(11)	आर.एन.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ बीएसटीसी, कपासन, चित्तौड़गढ़	STC	50
(12)	विद्या भारती एसटीसी कॉलेज, टोडी नगर, सीकर	STC	50
(13)	संस्कार टीचर ट्रेनिंग स्कूल, शान्ति प्रिया नगर, जोधपुर	STC	50
(14)	टांक शिक्षा निकेतन बीएसटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लोहागल, अजमेर	STC	50
(15)	मदर इंडिया टीचर ट्रेनिंग स्कूल, खानपुर, झालावाड़	STC	50 (सीट बुकिंग)
(16)	गोपेश्वर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कंवरपुरा डुंगरजा, दीगोद, कोटा	STC	50
(17)	सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, भगवानभरा, तिजारा रोड, अलवर	STC	50
(18)	श्री कृष्ण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोटपूतली, जयपुर	STC	50
(19)	उज्जस कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सचिवालय सिटी, दधिया, सांगानेर, जयपुर	STC	50
(20)	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धाना राजाजी, राजगढ़, अलवर	STC	50
(21)	आर.एन.टी.टी. कॉलेज, रयाऊ-गोविन्दगढ़, चौगू, जयपुर	STC	50
(22)	विनायक कॉलेज, विनायक विहार, लक्ष्मणगढ़, सीकर	STC	50

(23)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(24)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(25)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(26)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(27)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(28)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(29)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(30)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(31)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(32)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(33)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(34)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(35)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(36)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(37)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(38)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(39)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(40)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(41)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(42)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(43)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(44)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(45)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(46)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(47)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(48)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(49)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(50)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(51)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(52)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(53)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30
(54)	संयोजक शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल, गुरुदासपुर, जिला बलरामपुर	STC	30

उपरोक्त वर्गीत संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जायेगी।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सेकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10-12) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। समकक्ष परीक्षा के मामले में आयोगिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैल्यूरीयरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित/सांख्यिक/रसायन/भूगोल में हो, उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शैक्षिक वर्ष 2008-09 में सीएसटीसी/एनटीसी परीक्षाओं में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर शैक्षिक योग्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थानों में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, मृगदूरी रोगियों एवं विकलांगों आदि के लिए प्राथमिक राज्य सरकार के कार्यक्रम के तदीयताम प्रभावी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

4. फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जावेगी।

5. एन सी टी ई द्वारा निर्धारित विन्मार्कित शर्तों की पूर्ति परधान संस्था को छात्र आवंटित किये जावे-

(i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

(ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

(iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उपयुक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या 5 (i) पर अंकित शर्त की पालना एवं सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।


18.9.08
शासन उप सचिव
प्राथमिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2008 व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया काउंसलिंग में सम्मिलित करने से पूर्व निर्धारित फीस, राशियाँ एवं शक्ति जमा करवाना सुनिश्चित करें।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. संबंधित संस्था
9. रक्षित पत्रावली।


18.9.08
शासन उप सचिव